न्यायालय उपखण्ड अधिकारी(राजस्व), श्रीकरणपुर

पीठासीन अधिकारी : मूलचन्द लूणिया {आर.ए.एस.}
प्रकरण संख्या : 02/2019

1. गुरबक्श सिंह उर्फ गुरबचन सिंह पुत्र निहाल सिंह जाति रायसिख निवासी चक 44 जीजी तहसील श्री करणपुर हाल निवासी चक 16 पी तहसील अनुपगढ जिला श्री गंगानगर।

--वादी--

बनाम

राजस्थान राज्य जरिए तहसीलदार श्री करणपुर।

--प्रतिवादी--

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एलआरएक्ट, 88 आरटीए

--निर्णय-- दिनांक : 27.02.2020

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि चक 44 जीजी के मु.न. 45 के किला न. 1 ता 25 की 24 बीघा 10 बिस्वा व मु.न. 26 के किला न. 4 ता 7, 14 ता 17, 24 के 10 बिस्वा, किला न. 25 के 18 बिस्वा तथा मु.न. 62/8 का 0.10 बीघा रकबा 10 बीघा 10 बिस्वा कुल 35 बीघा जिसमें 34-10 बिस्वा नहरी व 10 बिस्वा खाल कस्टोडियन विभाग द्वारा अलॉटमेन्ट है। जो कि बुलाका सिंह पुत्र चौधरी सिंह के नाम से आवंटन है। जो कि सनद बनने से पूर्व फौत हो गया था। जिसके वारिसान निहाल सिंह, इन्द्र कौर, काका सिंह, गुरबक्श सिंह, सुमीत्र, हरनाम सिंह 1 ता 7 को 1/2 हिस्सा बाकी 8 से 11 गुरनाम सिंह, रतन सिह, भिरावा व बूड सिंह तक को 1/2 हिस्सा इनके नाम विरास्तन इन्तकाल दर्ज है। खातेदारी सनद दिनांक 08.03.2017 को न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्री करणपुर द्वारा उक्त रकबा की जारी की गई। इसी आधार पर इन्तकाल के आधार पर राजस्व रिकॉर्ड में जमाबन्दी चक 49 जीजी की जमाबन्दी सम्वत 26 व 45 में गुरबक्श सिंह पुत्र निहाल सिह दर्ज की गई । जबकि वादी को गुरबक्श सिंह उर्फ गुरबचन सिंह इन दोनो नामों से पुकारा जाता है। वादी के पहचान पत्र, भामाशाह, राशन कार्ड, आधार कार्ड, में गुरबचन सिंह नाम दर्ज है। दावा दर्ज से दो दिन पूर्व वादी तहसीलदार राजस्व श्री करणपुर से मिले और उक्त दुरूस्ती करने के लिए निवेदन किया तो तहसीलदार श्री करणपुर द्वारा श्री मान जी के न्यायालय में चाराजोही करने की हिदायत दी गईं। इसलिए श्री मान जी के न्यायालय में दावा पेश करना जरूरी हो गया। उक्त त्रुटि जमाबन्दी में सहवन से हो गई है जो एक लिपिकीय त्रुटि है। जिसे सुधारा जाना न्यायहित में है। अतः वादपत्र पेश कर निवेदन है कि चक 44 जीजी के मु.न. 26 व 45 में वादी के नाम दर्ज भूमि में वादी का नाम गुरबक्ष के स्थान पर गुरबक्श सिंह उर्फ गुरबचन सिंह नाम दर्ज किये जाने के आदेश फरमावें।

वाद पत्र पेश होन पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी को जरिए सम्मन तलब किया गया। राजपैरोकार के द्वारा जवाब स्टेट पेश किया गया। तहसीलदार श्री करणपुर के पंत्राक 9348 दिनांक 20.02.2020 के द्वारा रिपोर्ट प्राप्त हुई रिपोर्ट के अनुसार चक 44 जीजी के इन्तकाल संख्या 708 व 710 में पूर्व में ही नाम गुरबचन सिंह उर्फ गुरबक्श सिंह पुत्र निहाल सिंह दर्ज है। परन्तु नवीन जमाबन्दी कम्प्यूटराईजेशन/ सेग्रीगेशन में नाम गुरबक्श सिंह पुत्र निहाल सिंह दर्ज हो गया। जिसे दुरूस्त किया जाना उचित है।

बहस सुनी गई प्रार्थी अधिवक्ता ने बहस में वाद पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए, प्रार्थना पत्र स्वीकार हेतु निवेदन किया।

बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। वादी के द्वारा चक 44 जीजी के मु.न. 26 व 45 में वादी के नाम दर्ज भूमि में वादी का नाम गुरबक्ष के स्थान पर गुरबक्श सिंह उर्फ गुरबचन सिंह दर्ज किये जाने बाबत निवेदन किया गया है। वादी के पहचान सम्बन्धी दस्तावेज

यथा राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, भामाशाह कार्ड में गुरबचन सिंह पुत्र निहाल सिंह अंकित है। प्रार्थी के नाम के सम्बन्ध में सरपंच ग्राम पंचायत 52 जी जी गुलाबेवाला द्वारा जारी प्रमाण पत्र में भी गुरबचन सिह व गुरबक्श सिंह दोनो नाम एक ही व्यक्ति के है। इनको दोनो नामों से पुकारा जाता है। रिपोर्ट तहसीलदार श्री करणपुर के अनुसार चक 44 जीजी चक के इन्तकाल संख्या 708 व 710 में पूर्व में ही नाम गुरबचन सिंह उर्फ गुरबक्श सिंह पुत्र निहाल सिंह दर्ज है। जिसे दुरूस्त किया जाना उचित है। वादी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है।

उपरोक्त तथ्यो के विवेचन एवं रिपोर्ट तहसीलदार श्री करणपुर तथा पत्रावली में साक्ष्य सबूत के आधार पर वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर चक 44 जी जी की जमाबन्दी सम्वत 2071 ता 2074 के खाता संख्या 95/94 के मु.न. 26 व खाता संख्या 97/93 के मु.न. 45, 62/8 में दर्ज वादी का नाम गुरबक्श सिंह पुत्र निहाल सिंह के स्थान पर गुरबचन सिह उर्फ गुरबक्श सिंह पुत्र निहाल सिंह अंकित किए जाने के आदेश दिए जाते है। इन दोनो खातो के शेष अंकन व रहन बदस्तुर रहेगे। उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे। पर्चा डिक्री इस आश्य का जारी हो। पर्चा डिक्री की एक प्रति तहसीलदार श्री करणपुर को पालनार्थ प्रेषित हो। पत्रावली निर्णित होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 27.02.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Moolchand Luniya
Date: 2020.02.27 15:45:04 IST
Reason: SelfAttested
Location: